

उत्तराखण्ड शासन
आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग
संख्या- 433 /XL-1-2024-16/2018
देहरादून: दिनांक 15 मार्च, 2024

कार्यालय-आदेश

आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सचिवालय स्तर पर आयुष विभाग से सम्बन्धित कार्यों की मॉनिटरिंग, आयुष के प्रचार प्रसार तथा आयुष विभाग को तकनीकी रूप से सृष्टि किये जाने हेतु साक्षात्कार हेतु गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर विषय विशेषज्ञ के रूप में श्री शावेज बक्श पुत्र श्री इकबाल बक्श को चयनित किया गया है।

श्री शावेज बक्श, विषय विशेषज्ञ (सचिवालय स्तर) को उक्त कार्य हेतु सचिव, नियोजन अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-116099/XXVI/एक(12)/2021, दिनांक 24.04.2023 में दिये गये शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एक लाख रुपये प्रति माह मानदेय दिया जायेगा।

(गजेन्द्र सिंह कफलिया)
उप सचिव।

संख्या- 433 /XL-1-2024-16/2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, अपर सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अपर सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. संयुक्त निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. शासन स्तर पर गठित समिति के सदस्यगणों द्वारा निदेशक, आयुर्वेद।
6. श्री शावेज बक्श, विषय विशेषज्ञ (सचिवालय स्तर)।
7. गार्ड फाईल।

(गजेन्द्र सिंह कफलिया)
उप सचिव।